कार्यालय
मुख्य अभियन्ता स्तर–2
सिंचाई विभाग, हरिद्वार।

पत्रांक – 1258 /मु0अ0ह0/ **दिनांक,** 29-04-2024

विषय - **मा0 राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली के समक्ष योजित मूल आवेदन संख्या-102/2023 नीरज छच्छर बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ- **आपका पत्रांक-1358/प्र0अ0/सिं0वि0/नि0अनु0/एन0टी0जी0 दिनांक 05.04.2024**

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड, देहरादून।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड हरिद्वार द्वारा प्रस्तुत प्रतिशपथ पत्र प्रतिहस्ताक्षरित कर 02 प्रतियों में सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया तद्नुसार सचिव महोदय, सिंचाई की ओर से मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली के समक्ष प्रतिशपथ पत्र दाखिल कराये जाने हेतु कृपया आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार
02 प्रति में।

मुख्य अभियन्ता स्तर–2
सिंचाई विभाग
हरिद्वार।

पत्रांक – /मु0अ0ह0/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, हरिद्वार।
2. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड हरिद्वार।

मुख्य अभियन्ता स्तर–2
सिंचाई विभाग
हरिद्वार।

1258
29-04-2024

कार्यालय
अधीक्षण अभियन्ता,
सिंचाई कार्य मण्डल, हरिद्वार।

पत्रांकः–1205/सि0का0म0ह0/एन0जी0टी/ दिनांक 25/4/24

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली के समक्ष योजित मूल आवेदन संख्या–102/2023 नीरज छच्छर बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के सम्बन्ध में।

संदर्भः–प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 1358/प्र0अ0/सि0वि0/नि0अनु0/एन0जी0टी0 दिनांक 05.04.2023।

मुख्य **अभियन्ता स्तर–2** सिंचाई **विभाग उत्तराखण्ड,** हरिद्वार।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उक्त संदर्भित पत्र जो आपको सम्बोधित एवं अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, हरिद्वार को पृष्ठांकित है तथा इस कार्यालय को ई–मेल पर प्राप्त हुआ है का अवलोकन करें।

विषयगत प्रकरण के सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता महोदय, के निर्देशानुसार अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड हरिद्वार द्वारा प्रस्तुत प्रतिशपथ पत्र प्रतिहस्ताक्षरित कर 03 प्रतियों में सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया तद्नुसार सचिव सिंचाई की ओर से मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली के समक्ष प्रति शपथपत्र दाखिल कराये जाने हेतु कृपया आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

(विजय कान्त मौर्य)
अधीक्षण अभियन्ता

Steno

पत्रांकः– /**सि0का0म0ह0/एन0जी0टी/**तद्दिनांक

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड, हरिद्वार को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

(विजय कान्त मौर्य)
अधीक्षण अभियन्ता

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

ORIGINAL APPEAL NO. 102/2023

NEERAJ CHHACHHAR & ANR APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND & ORD RESPONDENTS

NDOH- 10.05.2024

INDEX

S.no	Particulars	Page
1.	Reply on behalf of executive engineer irrigation division haridwar.	

Through

PANEL COUNSEL FOR STATE OF UTTARAKHAND

BEFORE THE HON'LE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BANCH, NEW DELHI

OA NO 102/2023

MR. Neeraj Chhachar & Anr. Applicant (s)

Versus

State of Uttarakhand & Ors. Respondents

1- Executive Engineer, Irrigation Division, Haridwar.

Date of hearing/Order 01-03-2024

CORAM: HON'BLE Mr. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA (chairperson)
HON'BLE Dr. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER
HON'BLE Dr. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

REPLY AFFIDAVIT FILED ON THE BEHALF OF THE 1& 2 RESPONDENT-EXECUTIVE ENGINEER IRRIGATION DIVISION HARIDWAR THROUGH SUPRINTENDING ENGINEER IRRIGATION WORK CIRCLE HARIDWAR.

I, Manju D/o Mahesh Ram Hindu, aged 50 years having my office at near Tulsi Chowk, Mayapur, Haridwar Distt Haridwar. Pin- 249401 do hereby solemnly affirm and sincerely state as follows.

I Submit that I am working as Executive Engineer Irrigation Division Haridwar and I am authorized to file this reply affidavit on the behalf of the respondent no- 02 and as such I am well acquainted with the facts and circumstances of the present matter and I am fully competent to file present reply by the way of affidavit from the record available in my office.

1- That the above mentioned matter was earlier listed before this hon'ble on 01-03-2024 and this hon'ble tribunal was please to direct this office to file the response which as under.

That the original application the issue involved relates to construction of residential apartments at Beliram Ashram, Kankhal Haridwar and the allegation is that construction activities are causing pollution by discharging sewage, dumping of construction waste directly in the river.

अधीक्षण अभियन्ता
सिंचाई कार्य मण्डल, हरिद्वार

मंजु
अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड हरिद्वार

2.1— अभिलिखित होने के कारण कोई मन्तव्य नहीं है।

2.2— यह कि मा0 ट्रिब्यूनल के आदेश दिनांक 01.03.2024 के बिन्दु नं0 02 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने अधीनस्थ उपखण्डीय अधिकारी एवं उपराजस्व अधिकारी के साथ मिलकर प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण किया गया। शासन द्वारा जनपद हरिद्वार की बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण निर्धारण की अधिसूचना शासनादेश संख्या–828/II(2)-2018-06(65)-2016 Dated 11-05-2018 जारी की गयी है, जिसमें जनपद हरिद्वार में चण्डी पुल से कलसिया तक गंगा नदी के बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण में आने वाले समस्त क्षेत्र को प्रतिबन्धित एवं निर्बन्धित श्रेणी में सूचीबद्ध करते हुए परिसीमन किया जा चुका है। **प्रश्नगत क्षेत्र गंगा नदी के दाएं किनारे पर 100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति रेखा से 130 मी0 दूरी पर/बाहर की ओर Country Side में स्थित है, जिसके कारण प्रश्नगत क्षेत्र बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की सीमा से बाहर है। अतः प्रश्नगत क्षेत्र में सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड** द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जानी है।

2.3— यह कि शासन द्वारा जनपद हरिद्वार की बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण निर्धारण की अधिसूचना शासनादेश संख्या–828/II(2)-2018-06(65)-2016 Dated 11-05-2018 जारी की गयी है, जिसमें जनपद हरिद्वार में चण्डी पुल से कलसिया तक गंगा नदी के बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण में आने वाले समस्त क्षेत्र को प्रतिबन्धित एवं निर्बन्धित श्रेणी में सूचीबद्ध किया जा चुका है एवं इन क्षेत्रों में बाढ़ आवृत्ति रेखा एवं प्रतिषिद्ध रेखा का स्पष्ट परिसीमन किया जा चुका है। **प्रश्नगत क्षेत्र गंगा नदी के दाएं किनारे पर 100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति रेखा से 130 मी0 दूरी पर/बाहर की ओर Country Side में स्थित है, जिसके कारण प्रश्नगत क्षेत्र बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की सीमा से बाहर है अतः प्रश्नगत क्षेत्र में सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड** द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जानी है।

2.4— **विलम्ब हेतु क्षमा (Delay Condonation)**

अधोहस्ताक्षरी खण्डीय कार्यालय के अन्तर्गत विभिन्न प्रकृति के दायित्वों के निवर्हन हेतु उक्त अवधि में माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में विभिन्न वादों की पैरवी तथा अन्य प्रशासनिक कार्यो में व्यस्तता के दृष्टिगत इस खण्ड के राजपत्रित अधिकारी सहायक अभियन्ता–चतुर्थ को बाढ़ परिक्षेत्रण अधिनियम–2012 से सम्बन्धित कार्यवाही हेतु नामित किया गया, जिसको गम्भीरता से लेते हुये इनके द्वारा माननीय एन0जी0टी0 को संयुक्त कमेटी के माध्यम से तत्काल इस कार्यालय की ओर से मन्तव्य प्रेषित किया गया, परन्तु माननीय न्यायालय द्वारा अधोहस्ताक्षरी का मन्तव्य के निर्देश दिये गये, जिसके अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्थलीय निरीक्षण करने के उपरान्त अपना मन्तव्य आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है। कृपया संज्ञान लेने की कृपा करें एवं अधोहस्ताक्षरी के विलम्ब हेतु क्षमा को स्वीकार करने की कृपा करें।

2.5— यह कि बिन्दु संख्या–2.2 एवं 2.4 के अनुसार।

2.6— यह कि बिन्दु संख्या–2.3 के अनुसार।

2.7— यह कि अभिलेखीय होने के कारण मान्य है।

2.8— अभिलिखित होने के कारण कोई मन्तव्य नही है।

मुख्य अभियन्ता
हरिद्वार

अधीक्षण अभियन्ता
सिंचाई कार्य मण्डल, हरिद्वार

मंजु
अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड हरिद्वार

VERIFICATION

I MANJU D/o MAHESH RAM HINDU, aged about 50 years having my office at near Tulsi Chauk, Mayapuri, Haridwar, Pin-249401 , presently serving as executive engineer irrigation division Haridwar do hereby verify at Haridwar on 25th day of April 2024 that the contents of the above reply are true to best of my knowledge and are derived from official records and nothing material has been concealed thereon.

अधीक्षण अभियन्ता
सिंचाई कार्य मण्डल, हरिद्वार

DEPONENT

मंजु
अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड हरिद्वार

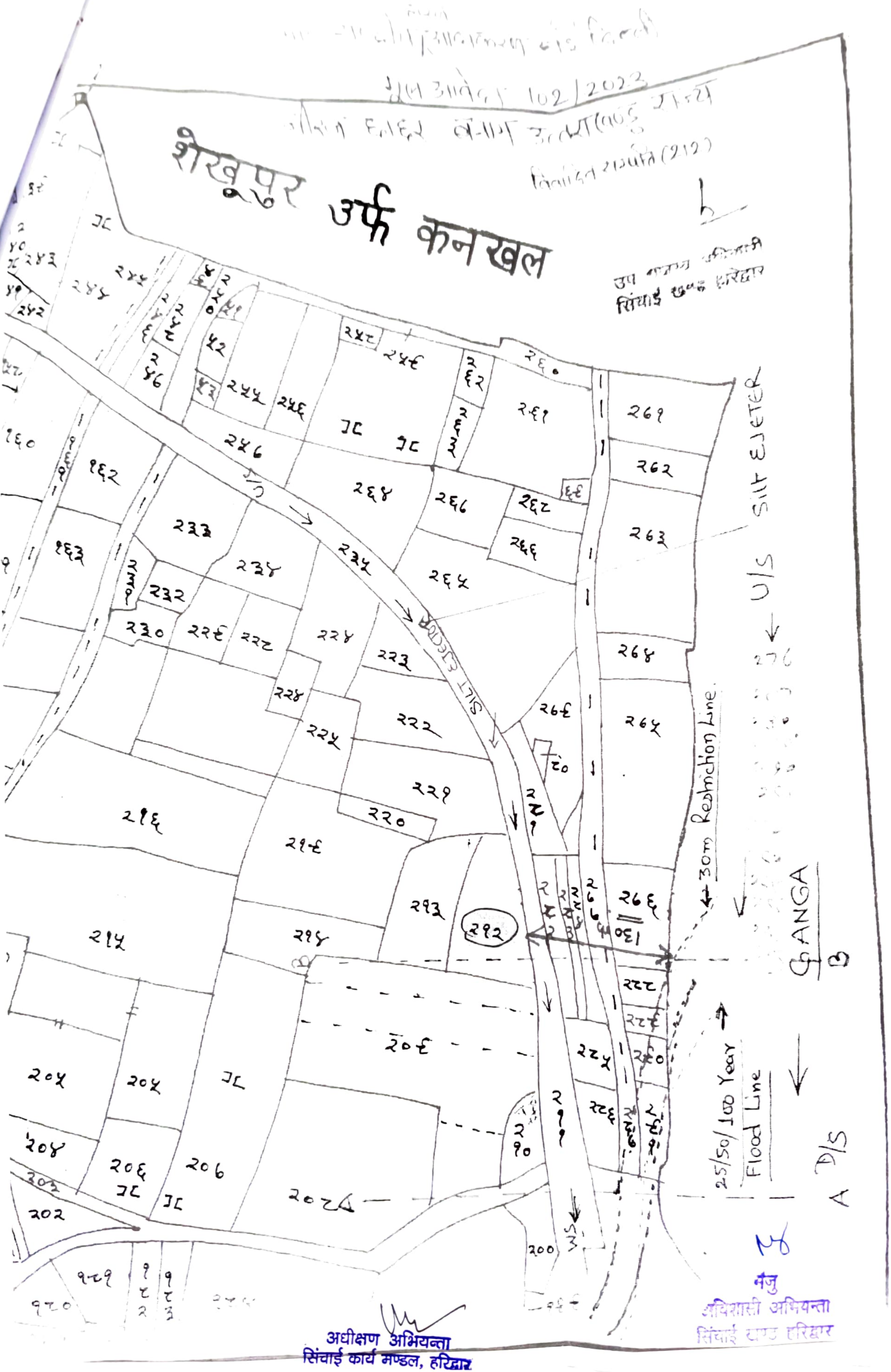
शेखूपुर उर्फ कनखल
SILT EJETER
U/S
30m Restriction Line
GANGA
25/50/100 Year Flood Line
D/S
A
B
अधीक्षण अभियन्ता
सिंचाई कार्य मण्डल, हरिद्वार
मंजु
अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड हरिद्वार

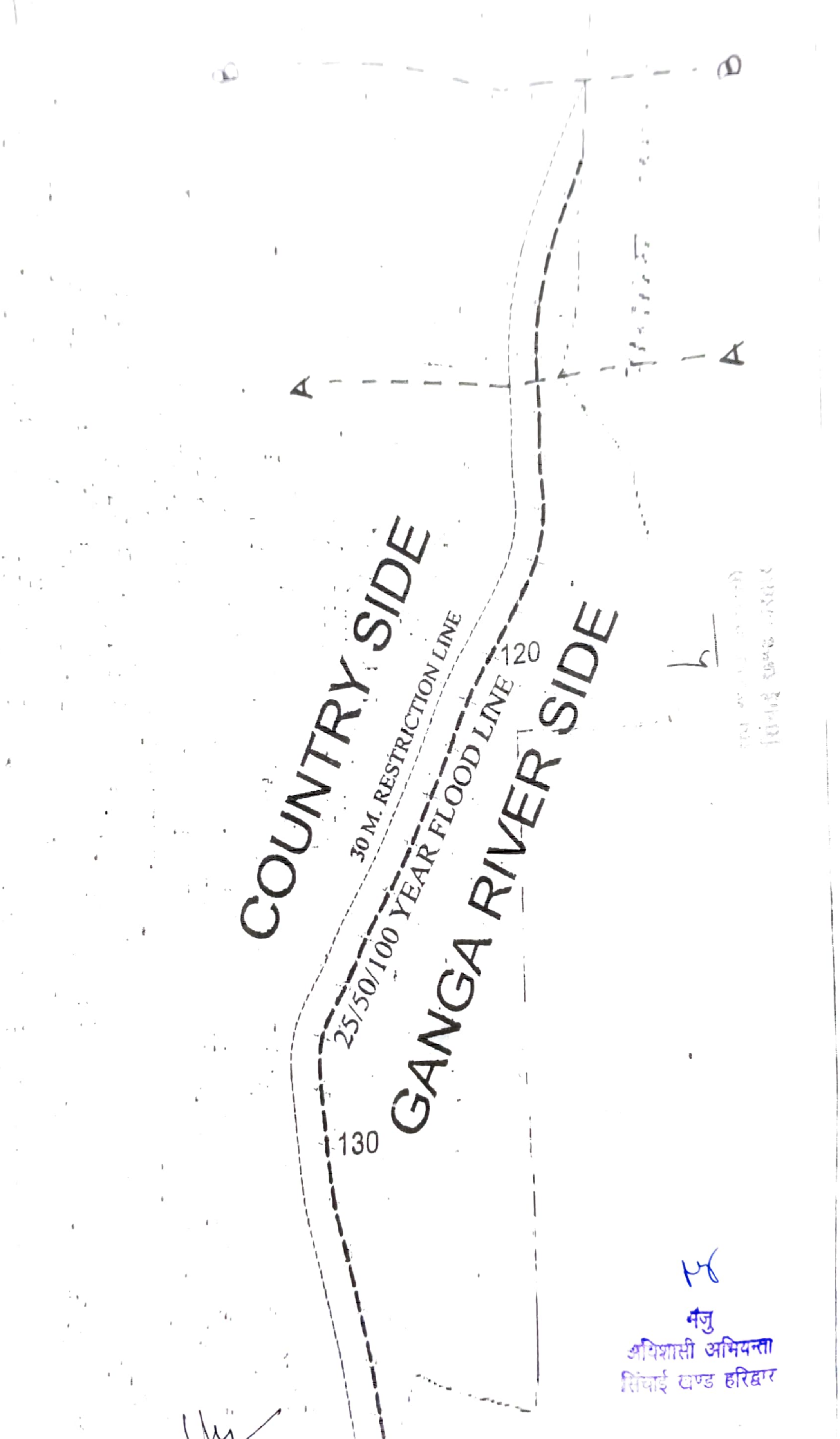

मंजु
अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड हरिद्वार

अधीक्षण अभियन्ता
सिंचाई कार्य मण्डल, हरिद्वार